प्रेषक,

पंकज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
प्रतापगढ़।

द्वाराः मान्नीय जनपद न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।

सेवा में,
उप निबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

**विषयः** स्वयं की अचल सम्पत्ति मकान नं० एस.१/२८ का जुज भाग बेचने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थी अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं० एस.१/२८ का जुज भाग स्थित मोहल्ला चुप्पेपुर, वार्ड सिकरौल, परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी जिसका क्षेत्रफल ९६६ (६५१+३१५) वर्गफिट है, को जरिए पंजीकृत बैनामा से प्राप्त किया था।प्रार्थी का नाम उक्त अचल संपत्ति पर सरकारी अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त अचल संपत्ति ९६६ वर्गफीट से ६५१ वर्गफिट का बैनाम १७.१२.२०१५ को सब रजिस्ट्रार तृतीय वाराणसी व ३१५ वर्गफिट का बैनाम दिनांक २३.०५.२०१६ को सब रजिस्ट्रार तृतीय, वाराणसी के यहां उचित बाजरू मुल्य देकर सम्पादित कराया था।

प्रार्थी उक्त अचल संपत्ति को बेचना चाहत है उक्त अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी बालमुकुन्द लाल मौर्य व नितेश कुमार मौर्य पुत्र श्री बालमुकुन्द मौर्य, एस.१/२८ए, चुप्पेपुर, केन्द्रीय कारागार मार्ग, वाराणसी मु० १६,००,०००/-रूपया में तैयार है। उपरोक्त क्रेतागण आपस में माता व पुत्र हैं। उनका कोई भी मुकदमा न तो प्रार्थी के न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है और न ही प्रार्थी के न्यायालय में विचाराधीन है और न ही क्रेतागण प्रार्थी से किसी भी प्रकार से संबंधित हैं।

अतः माननीय जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को उसकी उपरोक्त अचल संपत्ति बेचने की अनुमति प्रदान करने की महति कृपा करें।

सादर।

भयदीय

ह०/-
(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
प्रतापगढ़।

दिनांक १९.०७.२०२१